RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-07
July-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

स्वयं समूह संगठनों द्वारा महिला उत्थान

[1]Tarang Nagrani & [2]Dr. Sandhya Bohre

[1]*Research scholar*
[2]*Professor, MLB college, Gwalior (India)*

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 05 July 2018

Keywords
मनावैज्ञानिक, सामाजिक, प्रगतिशील

ABSTRACT

महिलाओ को वर्तमान में चाहे जिस भी कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, किन्तु फिर भी वह कार्यकारी होना पसन्द करती है क्योंकि आज सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उससे लागो का जीवन स्तर बढ़ा है और मानसिक सोच में भी अन्तर आया है। महिला सशक्तिकरण के प्रसार के साथ महिलाओं में आई जागृति ने उन्हें दोहरी भूमिका निभाते हुए अपने नए रूप को प्रस्तुत किया है। उसे घर से बाहर निकलकर अपनी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और मनावैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नई प्रगतिशील पहल करने की ठान ली है।

परिचय

महिलाओं को दोनों ही भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए न केवल कार्य में कुषल होना चाहिए वरन् इसके लिए परिवार का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। जहाँ एक ओर महिला ने तो पुरुष का हाथ बंटाने की जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली है, किन्तु पुरुष का भी महिलाओ की जिम्मेदारी को कम करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं ''जिसके फलस्वरूप महिला अभी तक मानसिक व शारीरिक दोनों ही रूपों में स्वयं का तालमेल बैठाने में अपने आपको असमर्थ पा रही है, जिसके कारण बहुत सी समस्याओं का सामना शिक्षित कामकाजी महिला को करना पड़ रहा हैं''

प्रत्येक महिला की इच्छा होती है कि वह जिन्दगी में कुछ बन कर दिखाए और जब उसकी यह तमन्ना पूरी होती है, त बवह स्वाभाविक तौर पर प्रसन्न रहती है वह तमाम मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करते हुए खुषी अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, महिलाओं को अनुभव होता है कि उसके जीवन का अर्थ है, उसकी भी अलग पहचान और अस्त्वि हैं।

महिला सषक्तिकरण से अभिप्राय जीवन के विविध क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी से है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक इत्यादि सभी विषयों में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होता है। यह महिलाओं के स्वयं पर नियंत्रण, अपने परिवार के बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों में साझेदारी तथा घर के इतर निर्णयों में भूमिका निर्धारित करता है। महिला सशक्तिकरण की राजनीति प्रशासन, अर्थव्यवस्था, व्यापार–वाणिज्य इत्यादि में प्रतिनिधित्व के रूप में भी आंका जाता है। इसके तहत महिलाओं में सुरक्षा की भावना, मातृत्व, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी इत्यादि के रूप में भी देखा जाता है। सशक्तिकरण महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे में विश्वास का निर्माण शामिल होता है। महिलाओं को सशक्त करने में कुछ कारकों की अहम भूमिका होती है। जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, सेनिटेशन, आस्तियों पर स्वामित्व कौशल, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकीय ज्ञान इत्यादि हैं।

स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण भारत के गुजरात राज्य में सुश्री इला भट्ट के नेत्तव में विनय से महिलाओं द्वारा संगठित स्वयं सहायता समहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान कर उन्हें उत्पादक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्पादक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जोकि सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सबसे पहला सफल प्रयास माना जाता है। बाद में, बांग्लादेश में श्री मुहम्म्त यूनुस ने 1976 से सूक्ष्म वित्त को आधार बनाकर अनेक स्वयं सहायता समूहों का सृजन किया, जिसने बांग्लादेश में गरीबी कम करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवम् कई लघु एवम् कुटीन उद्योगों को पुनर्जीवन देने का कार्य किया, जिसके लिए यूनुस की वर्ष 2005 में नोबल शाांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद से स्वयं सहायता समूह एवम् सूक्ष्म वित्त की अवधारणा एक व्यापक क्रान्ति के रूप में उभारते हुए विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवम् महिला उत्थान का अहम माध्यम बन चुका है।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिला सदस्यों को प्रभावित दिए जाने के कारण

हमारे देश में बहुत सारे गैर सरकारी संगठन एवम् सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ स्वयं सहायता समूहों के गठन व उन्हें ऋण देकर निर्धनता निवारण के उद्देश्य से कार्य करती हैं। ये समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा उनमें समग्र जागरूकता के विकास में भी भूमिका निभा रहे हैं। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति के निम्नलिखित कारण है–

- सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ महिलाओं को ऋण देने तथा उनके विकास पर बल देते हैं। इस प्रकार महिलाओं को ऋण देकर सूख्म वित्त संस्थाएँ महिला उद्यमों के सृजन, विकास, संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है, जिसके महिलाओं की स्वायत्ता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार, आत्मविश्वास व सामाजिक औहदे में वृद्धि हुई है।
- एक अनुमान के अनुसार दुनिया की गरीब जनसंख्या का 70 फीसदी हिस्सा महिलाएँ हैं स्पष्ट है कि गरीबी की मार पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक पड़ रही है। ऐसे में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा निर्धनता निवारण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि एक पुरुष को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का उसके परिवार पर भी असर हो यह निश्चित नहीं होता, किनतु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण निश्चित ही पूरे परिवार, विशेषकर बच्चों की जिन्दगी में व्यापक बदलाव लेकर आता है।

महिलाओं की एस.एच.जी. बैंक लिंकेज योजना में स्थिति

नाबार्ड की भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति 2011–12 रिपोर्ट के अनुसार मार्च 12 के अन्त तक एस. एच.जी. बैंक लिंकेज योजना के लगभग 79 प्रतिशत बचत खाते महला एस.एच.जी. द्वारा खोले गए थे। एस.एच.जी. को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में लगभग 80 प्रतिशत ऋण महिला एस.एच.जी. को दिए गए वहीं बैंकों द्वारा दिए बकाया ऋण में लगभग 84 फीसदी महिला एस.एच.जी. द्वारा लिए गए। स्पष्ट है कि भारत में एस.एच.जी. बैंक लिंकेज योजना के तीन चौथाई से अधिक लाभार्थी महिला एस.एच.जी. हैं।

मार्च अन्त में स्वयं सहायता समूहों की बचत एवम् ऋण के मामले में स्थिति

	2009–10		2010–11		2011–12	
	संस्था (लाख में)	राषि (करोड़ में)	संस्था (लाख में)	राषि (करोड़ में)	संस्था (लाख में)	राषि (करोड़ में)
एस.एच.जी. द्वारा की गई बचत	69.53	6198.71	74.62	7016.30	79.60	6551.41
महिला एस.एच.जी. की बचत	53.10 (76.4)	4498.66 (72.6)	60.98 (81.7)	5298.65 (75.5)	62.99 (79.1)	5104.33 (77.9)
बैंक द्वारा दिए गए ऋण	15.87	14,453.3	11.96	14547.73	11.98	16534.77
महिला एस.एच.जी. को दिए ऋण	12.94 (81.6)	12429.37 (86.0)	10.97 (85.0)	12622.33 (86.8)	9.23 (80.4)	14132.02 (85.5)
बैंक में बकाया ऋण	48.51	128038.26	47.87	31221.17	43.54	36340.0
महिला एस.एच.जी. के बकाया ऋण	38.98 (30.3)	23030.36 (82.1)	39.84 (83.2)	26123.75 (83.7)	36.49 (83.8)	30465.28 (83.8)

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

विभिन्न मंत्रालयों और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 8 मार्च 2010 को नया कार्यक्रम शुरू किया गया। शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण नीतिगत दिशा, निर्देश करेगा, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगे और 13 मंत्री इसके सदस्य होंगे। इनकी सहायता के लिए केन्द्रीय समिति और अन्तर मंत्रालयी समन्वय समिति होगी।

केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र मिशन निदेशालय को तकनीकी सहायता देगा। यह केन्द्र

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के सम्बन्ध में अनुसन्धान और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करेगा और विद्यमान संस्थाओं/ संस्थानों के सम्पर्क में रहेगा सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए यह मीडिया रणनीतियाँ तैयार करने के साथ–साथ समाज में अभिशप्त सामाजिक कुरीतियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी तैयार करेगा, इस तर्ज पर राज्य स्तर पर राज्य मिशन अधिकरण और राज्य महिला संसाधन केन्द्र होंगे।

राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख कार्य हैं–

- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
- महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना।
- स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर
- प्रतिभागी महिलाएँ, संस्थानों और संगठनों के कार्यक्रमों, नीतियों संस्थानिक व्यवस्थाओ ंऔर प्रक्रियाओं के जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग कार्य की निगरानी।

निष्कर्श–

सार रूप में हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह एवम् सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएँ महिलाओ के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, क्योंकि इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणामस्वप महिलाओं की क्षमताओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में स्र्वोपरि स्थान रखता है किन्तु हमारे देश की सांस्कृतिक प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियाँ, महिला समूह की गतिशीलता, व्यवहार्यता व साध्यता में अनेक चुनौतियाँ खड़ी होती है इन चुनौतियाँ को कम करने में महिला संगठनों, समाजसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों, सरकारी एजेन्सियों इत्यादि द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें फलस्वरूप महिला समूहों की सक्रियता व सामाजिक आर्थिक जीवन में भागीदारी व महिला सशक्तिकरण सच्चे मायनों में हो रहा है।

सन्दर्भ–

1. नाबार्ड भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति 2011–12 रिपोर्ट
2. आनन्द सिंह Financial Inclusion and Urban Corporative Banks.
3. M.Gil Micro Finance Review 2018.
4. जैन मंजू, कार्यषील महिलाएँ एवम् सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्ट बैल, जयपुर, संस्करण– 1999, पृ. 44
5. सिंह डॉ. जे.पी. समाज शास्त्र अवधारणाएँ एवम् सिद्धान्त, प्रिन्टि्स हॉल ऑफ इण्डिया प्रा.लि. नई दिल्ली 2003, पृ. 34

© RRIJM 2015, All Rights Reserved